झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
द्वादश (मानसून) सत्र
वर्ग–03

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांकः– 11 श्रावण,1945 (श0) ....को 02 अगस्त,2023 (ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
61-	अ0सू0–15	सुश्री अम्बा प्रसाद,	सड़कों से गाँव को जोड़ना।	ग्रामीण कार्य	28-07-23
62-	अ0सू0–18	श्री दीपक बिरुवा,	भवनों का जीर्णोद्धार कराना।	भवन निर्माण	28-07-23
63-	अ0सू0–05	सुश्री अम्बा प्रसाद,	ठोस पहल कराना।	ग्रामीण विकास	25-07-23
64-	अ0सू0–09	श्री नारायण दास,	कार्य पूर्ण कराना।	पंचायती राज	26-07-23
65-	अ0सू0–02	श्री विनोद कुमार सिंह,	समग्र योजना बनाना।	परिवहन	22-07-23
66-	अ0सू0–06	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	अपेक्षित बदलाव करना।	पंचायती राज	25-07-23
67-	अ0सू0–03	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,	नियुक्ति हेतु नीति निर्धारण करना।	नगर विकास एवं आवास	22-07-23
68-	अ0सू0–14	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह,	सड़क का निर्माण कराना।	नगर विकास एवं आवास	28-07-23
69-	अ0सू0–01	श्री विनोद कुमार सिंह,	बकाया राशि का भुगतान कराना।	ग्रामीण विकास	22-07-23
70-	अ0सू0–17	श्री भूषण बड़ा,	पथों का निर्माण कराना।	पथ निर्माण	28-07-23

कृ0पृ0उ0.........2/–

01	02	03	04	05	06
71-	अ0सू0-10	श्री सरयू राय,	अधिकारी पर कार्रवाई करना।	पथ निर्माण	26-07-23
72-	अ0सू0-12	श्री प्रदीप यादव,	अधिकारी पर कार्रवाई करना।	ग्रामीण विकास	28-07-23
73-	अ0सू0-08	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	पेसा कानून बनाना।	पंचायती राज	26-07-23
74-	अ0सू0-16	श्री सरयू राय,	वैकल्पिक उपाय करना।	नगर विकास एवं आवास	28-07-23
75-	अ0सू0-19	श्री भूषण बड़ा,	पुलों का निर्माण कराना।	ग्रामीण कार्य	28-07-23
76-	अ0सू0-07	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	परिवहन निगम गठन करना।	परिवहन	25-07-23
77-	अ0सू0-11	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा,	जलापूर्ति योजना पूर्ण कराना।	नगर विकास एवं आवास	28-07-23
78-	अ0सू0-13	श्री प्रदीप यादव,	ठोस कार्रवाई करना।	नगर विकास एवं आवास	28-07-23
79-	अ0सू0-04	श्रीमती सुनिता चौधरी,	पदाधिकारी पर कार्रवाई करना।	ग्रामीण विकास	22-07-23

राँची,
दिनांक-02 अगस्त,2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0प्रश्न-04/2020-2028/वि0स0,राँची,दिनांकः-31/07/23

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
31/07/2023
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0प्रश्न-04/2020-2028/वि0स0,राँची,दिनांकः-31/07/23

प्रतिलिपिः-आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/संयुक्त सचिव, (प्रश्न),झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय /प्रभारी सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
अवर सचिव 31/07/2023
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0प्रश्न-04/2020-2028/वि0स0,राँची,दिनांकः-31/07/23

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा/बेबसाईट शाखा/ ऑनलाईज शाखा/ जे0भी0एस0 टी0भी0 शाखा/अनागत प्रश्न एवं कियान्वयन समिति शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
31/07/2023
अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

गोपी/

(61)

दिनांक–02.08.2023 को माननीय स०वि०स० सुश्री अम्बा प्रसाद द्वारा सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–15 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य की लगभग 15000 किलोमीटर सड़क ग्रामीण क्षेत्र में पड़ती है, जिन्हें अलग–अलग वर्षों में निर्माण करने की कार्य योजना विभाग द्वारा बनाई गई है;	अस्वीकारात्मक। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना अन्तर्गत क्षतिग्रस्त अर्हताप्राप्त ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण/विशेष मरम्मति हेतु दिशा–निर्देश निर्गत है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य की ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ने वाली 15000 किलोमीटर सड़क समेत बड़कागाँव विधानसभा क्षेत्र के सभी जर्जर सड़कों की मरम्मति और सभी गाँव और टोलों को नयी सड़कों से जोड़ने का काम चालू वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत् पाँच वर्ष एवं उसके पूर्व निर्मित सभी क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण/विशेष मरम्मति हेतु प्राक्कलन का निर्माण करने का निदेश निर्गत है। तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात् प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर मरम्मति कार्य कराया जायेगा। नई सड़क निर्माण हेतु प्राथमिकता आधारित अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं निधि की उपलब्धता के आलोक में कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–938/2023 ग्रा0का0वि0.....2532.....राँची/दिनांक–01–08–2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1998, दिनांक–28.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–938/2023 ग्रा0का0वि0.....2532.....राँची/दिनांक–01–08–2023

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1/8/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–938/2023 ग्रा0का0वि0.....2532.....राँची/दिनांक–01–08–2023

प्रतिलिपि–सचिव कोषांग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1/8/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

(63)

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन दिनांक–02.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र. सं.	प्रश्नकर्त्ता का नाम – सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता का नाम– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि समय पर मंजूरी नहीं मिलने से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 23 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रधानमंत्री आवास का आवंटन नहीं दिया है, जिसमें झारखण्ड राज्य भी शामिल है।	वित्तीय वर्ष 2022–23 से अब तक ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।
2.	क्या यह बात सही है कि कई राज्यों को मंजूरी भेजने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक– G-20011/02/2021-RH दिनांक–29.05.2023 द्वारा कुछ राज्यों को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण हेतु लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें झारखण्ड राज्य शामिल नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हेतु आवंटन प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार से पत्राचार करने और इस दिशा में सार्थक और ठोस पहल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड द्वारा अ०शा०प०सं०– 3900016 दिनांक–01.11.2022 के माध्यम से तथा माननीय विभागीय मंत्री द्वारा पत्रांक–225, दिनांक–19.01.2023 के माध्यम से Target प्राप्त करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया। विदित हो कि फरवरी 2023 में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शिष्टमंडल द्वारा लक्ष्य आवंटित किये जाने हेतु माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया। साथ ही जुलाई 2023 में नीति आयोग की बैठक में भी राज्य सरकार द्वारा इस मांग को दुहराया गया।

28.07.2023

(चन्द्र भूषण)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक :–10–वि०स०–37/2023/ग्रा०वि०– 3092, राँची, दिनांक :–28/07/2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–1833, दिनांक–25.07.2023 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

28.07.2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–37/2023/ग्रा०वि०– 3092, राँची, दिनांक :–28/07/2023

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

28.07.2023

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–37/2023/ग्रा०वि०– 3092, राँची, दिनांक :–28/07/2023

प्रतिलिपि :– उप सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी (विधान सभा), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

28.07.2023

सरकार के अवर सचिव।

(65)

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

NO-852
dt-31.07.2023

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–02 का उत्तर :–

	प्रश्नकर्त्ता श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता श्री चम्पाई सोरेन, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
01	क्या यह बात सही है कि 2022 ई० में राज्य के सड़क दुर्घटना में 3898 नागरिकों की मृत्यु हुई है;	स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि 1484 नागरिकों की मौत हेलमेट नहीं पहनने तथा ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने से हुई है;	स्वीकारात्मक।
03	क्या यह बात सही है कि राज्य में जिला मुख्यालयों से इतर राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य पथों के प्रमुख चौराहों, क्रौसिंग और प्रखण्ड अनुमण्डल स्तर पर ट्रैफिक पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सड़क दुर्घटना में मौतों को कम करने हेतु समुचित ट्राफिक व्यवस्था के साथ समग्र योजना बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं से जनित मौतों को अति न्यूनतम करने हेतु कृत संकल्पित है। इसके निमित्त राज्य में उपलब्ध बल के अनुरूप राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य पथों के प्रमुख चौराहों और प्रखण्ड–अनुमण्डल स्तर पर पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। जिन–जिन जिलों में ट्रैफिक थाना/पुलिस नहीं है वहाँ सामान्य थाना/पुलिस द्वारा यातायात संबंधी डयूटी का निष्पादन किया जा रहा है। वैसे जिला जिसे यातायात जिला घोषित नहीं किया गया है, यहाँ के पुलिस उपाधीक्षक (मु०) को अपने कार्यों के अतिरिक्त सड़क सुरक्षा पेट्रोलिंग की व्यवस्था कर पुलिस की पहुँच सुनिश्चित किया जाता है। सड़क, दुर्घटना में कमी लाने हेतु अनेक रचनात्मक कदम उठाए गये है। इसमें लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने हेतु जागरूक करना शामिल है। इसके लिए स्कूल–कॉलेज, चौक–चौराहा एवं हाट–बाजारों में जागरूकता अभियान चलाया जाता है। मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी सड़क दुर्घटना पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन एवं सड़क दुर्घटना कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के निमित्त पुलिस विभाग में सड़क सुरक्षा कोषांग का भी गठन किया गया है।

31/07/23
उप सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–73/2023 852 /राँची,दिनांक 31.07.2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1720, दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/23
उप सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–73/2023 852 /राँची,दिनांक 31.07.2023

प्रतिलिपि–सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/23
उप सचिव
परिवहन विभाग।

(66)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 02.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –06 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय संकल्प संख्या– 1603 दिनांक 20.05.2016 द्वारा पंचायत सचिवालय के गठन, पंचायत स्वयंसेवकों के चयन एवं पंचायत स्वयंसेवकों का सेवाशर्त संसूचित है;	संकल्प संख्या 1603 दिनांक 20.05.2016 पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत के प्रबंधन हेतु पंचायत सचिवालय के गठन के संबंध में संसूचित है।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त संकल्प में वर्णित कार्य के अलावे मनरेगा/ आ0ए0वाई0/ पी0एम0वाई0जे0 में लेबर डिमाण्ड तथा सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपे गए कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया जाता है;	संकल्प संख्या 1603 दिनांक 20.05.2016 की कंडिका– 2 में अन्य विभागों द्वारा पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों से कार्य लिए जाने एवं लिए गए कार्य के विरूद्ध प्रोत्साहन/सम्मान राशि देने का प्रावधान है।
(2) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है, तो क्या सरकार पंचायत स्वयंसेवकों के हितार्थ प्रोत्साहन राशि के स्थान पर नियमित मानदेय एवं भविष्य सुरक्षित करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या 1603 दिनांक 20.05.2016 में अपेक्षित बदलाव करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों को संकल्प संख्या 1603 दिनांक 20.05.2016 की कंडिका–2 के आलोक में नियत मानदेय एवं परिलब्धि का भुगतान नहीं किए जाने तथा कराए गए कार्य के विरूद्ध संबंधित विभाग द्वारा प्रोत्साहन/सम्मान राशि दिए जाने का प्रावधान है। विभागीय संकल्प संख्या 1603 दिनांक 20.05.2016 में अपेक्षित बदलाव करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची–834004
e-mail : panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

ज्ञापांकः–1स्था(वि0स0)–54/2023–1819–/, राँची, दिनांकः–28.7.2023

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 1834 दिनांक 25.07.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28-7-23

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–54/2023–1819–/, राँची, दिनांकः–28.7.2023

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

28-7-23

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–54/2023–1819–/, राँची, दिनांकः–28.7.2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28-7-23

सरकार के अवर सचिव ।

अनिल/25.07.2023

(67)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–02.08.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–03 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री सचिवालय, प्रोजेक्ट भवन, राँची में दिनांक–11 जुलाई, 2023 को आहूत मंत्रिपरिषद् के बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में सेवाकाल में मृत नगरपालिका कर्मी (नगर निगम, नगर परिषद्/नगर पंचायत/ अधिसूचित क्षेत्र समिति के कर्मी) के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु नीति निर्धारण की स्वीकृति दी गई है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में उल्लेखित निर्णय के आलोक में राज्य के प्राधिकारों (झमाडा, वियाडा व अन्य) में कार्यरत सेवाकाल में मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित रखा गया है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के प्राधिकारों (झमाडा, वियाडा व अन्य) में कार्यरत सेवाकाल में मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु नीति निर्धारण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के परिपत्र संख्या–963 दिनांक–12.02.2021 द्वारा सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित परिपत्र संख्या–10167 दिनांक–01.12.2015 के प्रभाव एवं विस्तार खण्ड एवं कंडिका (15)(ञ) को विलोपित कर दिये जाने से शहरी स्थानीय निकायों में सेवाकाल में मृत नगरपालिका कर्मी के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में होने वाली कठिनाई के निस्तार के उद्देश्य से सेवाकाल में मृत नगरपालिका कर्मी (नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समिति के कर्मी) के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरांत नीति निर्धारित की गयी है। 2. झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद अंतर्गत कर्मियों के नियोजन एवं अनुकम्पा पर नियुक्ति हेतु स्वयं सक्षम प्राधिकार है। प्राधिकार की वित्तीय स्थिति अत्यंत दयनीय होने के कारण अनुकम्पा पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। झमाडा की वित्तीय स्थिति को दृष्टिपथ में रखते हुए मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने हेतु झमाडा को निर्देश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–01/वि०मं०प्र०–11/2023 न०वि०आ० 2889 राँची, दिनांक– 28/07/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1721 वि०स० दिनांक–22.07.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों क साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/23
सरकार के अवर सचिव।

(68)

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–02.08.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–14 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची नगर निगम के वार्ड सं०–50 के अंतर्गत सिंह मोड़ स्थित प्रेमनगर रोड नं०–4 में बीसों अपार्टमेंट एवं हजारों मकान निर्मित है, जिसमें हजारो लोग निवास करते है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सभी अपार्टमेंट एवं मकान नगर निगम से नक्शा पास होने एवं आवश्यक अनुमति के उपरांत बने है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि इन अपार्टमेंट एवं मकानों में रहनेवाले लोगों को नागरिक सुविधा के अन्तर्गत पी०सी०सी० सड़क नहीं बन पाया है जिस कारण लोगों को काफी परेशानी होती है एवं आये दिन दुर्घटनायें होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वार्ड सं०–50 के सिंह मोड़ स्थित प्रेमनगर रोड नं०–4 के आस–पास इलाकों में अलग–अलग निविदा के माध्यम से विभिन्न पथों एवं नाली का निर्माण कराया गया है। शेष बचे हुए पथ एवं नाली का निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार करायी जा रही है। निधी उपलब्धता के आधार पर बचा हुआ कार्य सम्पन्न करा दिया जायेगा।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित मुहल्ले में पी०सी०सी० सड़क का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–3 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–05 / वि०स० / अल्पसूचित–08 / 2023 / न०वि० 2950 राँची, दिनांकः–01/08/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०–2002 / वि०स० दिनांक–28.07.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/8/23
सरकार के अवर सचिव।

(69)

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 02.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या – अ०सू० – 01 का उत्तर सामग्री।

प्रश्नकर्त्ता– श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स०, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तरदाता– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
क्या यह बात सही है कि राज्य में मनरेगा की नौ लाख से ज्यादा योजनाऐं अधूरी है, जिसमें सिर्फ गिरिडीह में 86 हजार से ज्यादा है;	अस्वीकारात्मक। राज्य में मनरेगा अन्तर्गत वर्तमान में लगभग 716407 योजनाऐं संचालित हैं, जिसमें जिला गिरिडीह अन्तर्गत 66272 योजनाएँ संचालित हैं।
क्या यह बात सही है राज्य में मनरेगा में सामग्री मद में बकाया भुगतान हेतु 2 साल तक इंतजार करना होता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनरेगा अन्तर्गत सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में क्रमशः 44049.75 लाख एवं 31995.76 लाख तथा राज्यांश मद क्रमशः 14683.25 लाख एवं 10665.25 लाख राशि उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें क्रमशः 61798.37 लाख एवं 34777.28 लाख का व्यय जिलों द्वारा किया जा चुका है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023–24 में अबतक 346409 योजनाएँ एवं 2022–23 में 717318 योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी है।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अधूरी योजनाओं का निर्माण और शीघ्र बकाया राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक –13–132/विधान सभा/2023/ग्रा०वि० (N) 1043 राँची, दिनांक 28-07-23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र संख्या – 1719/वि०स० दिनांक 22.07.2023 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/07/2023
(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –13–132/विधान सभा/2023/ग्रा०वि० (N) 1043 राँची, दिनांक 28-07-23

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव/ उप सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/07/2023
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री भूषण बड़ा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 02.08.2023 को सदन में पूछा जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री भूषण बड़ा, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1. क्या यह बात सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिमडेगा के अन्तर्गत निम्नांकित पथ (1)–कुरडेग मुख्य पथ हेठमा बस्ती से हिनगिरी, झुनकाछापर, भयमुण्डा बरटोली होते हुए सावां तेतरटोली तक 25 कि0मी0 पथ (2)–अलबर्ट एक्का स्टेडियम से सामटोली चर्च, सिकरियाटाँड़, गोढ़ाईटांगर, कोबांग, छापटोली, खाँजालोया, करममाड़ी, परनापानी, भीमपुर होते हुए झलियाबाँध तक 60 कि0मी0 पथ (3)–गुमला जिला के पालकोट प्रखण्ड स्थित बाईसलापानी से बोड़ाडीह होते हुए उपरखम्मन मुख्य पथ तक 15 कि0मी0 पथ (4)–टकबा से गोंदलीपानी कुसकेला तक 18 कि0मी0 पथ (5)–मालसाड़ा टेंसेर मिशन से बिहाबाईल, गट्टीकच्छार उड़िसा एवं छत्तीशगढ़ सीमा तक 25 कि0मी0 पथ (6)–सोगसोगा से सेमरडीपा चारगीधा होते हुए उड़िसा सीमा तक 10 कि0मी0 पथ की हालत अत्यन्त जर्जर हो जाने के कारण आवागमन के लायक नहीं है;	प्रश्नांकित पथों की स्थिति निम्नवत् है:– (1) **कुरडेग मुख्य पथ हेठमा बस्ती से हिनगिरी, झुनकाछापर, भयमुण्डा बरटोली होते हुए सावां तेतरटोली तक 25 कि0मी0 पथ।** उक्त पथ कच्ची है। (2) **अलबर्ट एक्का स्टेडियम से सामटोली चर्च, सिकरियाटाँड़, गोढ़ाईटांगर, कोबांग, छापटोली, खाँजालोया, करममाड़ी, परनापानी, भीमपुर होते हुए झलियाबाँध तक 60 कि0मी0 पथ।** उपरोक्त पथ का पथांश अलबर्ट एक्का स्टेडियम से पालामाड़ा नदी तक 7.00 कि0मी0 NAC (नगर पंचायत) अन्तर्गत पड़ता है। पालामाड़ा नदी से सिकरियाटांड़ तक लगभग 5.00 कि0मी0, जो ग्रामीण कार्य विभाग का पथ है, अच्छी स्थिति में है। सिकरियाटांड़ से गोठाईटांगर तक लगभग 3.50 कि0मी0 पथ RCD सिमडेगा के अधीन है। गोठाईटांगर से कोबांग तक 2.30 कि0मी0 पथ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् निविदा प्रक्रिया में है। कोबांग से छापटोली पथ का मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। छापटोली से खँजालोया तक लगभग 7.00 कि0मी0 पथ की स्थिति अच्छी है। खँजालोया से झलिया लगभग 7.00 कि0मी0 पथ कच्ची है। (3) **गुमला जिला के पालकोट प्रखण्ड स्थित बाईसलापानी से बोड़ाडीह होते हुए उपरखम्मन मुख्य पथ तक 15 कि0मी0 पथ।** यह पथ कच्ची है, जिसके निर्माण हेतु मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त है। संभाव्यता प्रतिवेदन की मांग संबंधित कार्यपालक अभियंता से की गई है। (4) **टकबा से गोंदलीपानी कुसकेला तक 18 कि0मी0 पथ।** उक्त पथ कच्ची है।

	(5) मालसाड़ा टेंसेर मिशन से बिहांबाईल, गट्टीकच्छार उड़िसा एवं छत्तीशगढ़ सीमा तक 25 कि0मी0 पथ। उक्त पथ PMGSY Phase-III (2022-23) के तहत् MoRD से स्वीकृत है। निर्माण हेतु एकरारनामा भी कर लिया गया है, शीघ्र ही पथ का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। (6) सोगसोगा से सेमरडीपा चारगीधा होते हुए उड़िसा सीमा तक 10 कि0मी0 पथ। उक्त पथ कच्ची है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित पथों का निर्माण प्राथमिकता देते हुए इसी वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	प्रश्नांकित पथों के संबंध में उपरोक्त खण्ड–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। विभाग अन्तर्गत पड़ने वाले कच्चे पथांशों के निर्माण हेतु मा0स0वि0स0 से प्राथमिकता आधारित अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–941/23 ग्रामीण कार्य विभाग 2535 राँची, दिनांक 01–08–2023

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2005, दिनांक–28.07.23 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/23

(रंजीत रंजन प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–941/23 ग्रामीण कार्य विभाग 2535 राँची, दिनांक 01–08–2023

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–941/22 ग्रामीण कार्य विभाग 2535 राँची, दिनांक 01–08–2023

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

(71)

श्री सरयू राय, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि भुइयाँडीह लिट्टी चौक, जमशेदपुर से भिलाई पहाड़ी एन0एच0–33 तक 4.50 कि0मी0 लंबाई में पथ एवं पुल निर्माण हेतु रू0 233.7118 करोड़ की प्राक्कलित राशि की तकनीकी स्वीकृति केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रदान की गई थी और इसे प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पत्रांक–1086(अनु0), दिनांक–06.09.2019 द्वारा सचिव, पथ निर्माण विभाग को भेजा गया था; 2. क्या यह बात सही है कि मेरे अलासूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–39 दिनांक–23.03.22 के उत्तर में पथ निर्माण विभाग ने तथ्य छिपाया और ज्ञापांक–प0नि0वि0–11–अ0सू0–06/2022–1090 (5) दिनांक–21.03.2022 द्वारा सदन में उत्तर दिया कि "यह पथ–पुल रेखांकन पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व का नहीं है ; 3. यदि उपर्युक्त कंडिकाओं के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि प्रासंगिक पथ–पुल निर्माण के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति देकर कार्य आरम्भ कराना चाहती तथा सदन को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को चिन्हित कर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र 2022 में अल्प सूचित प्रश्न सं0– "अ0सू0–39" के माध्यम से लिट्टी चौक से स्वर्णरेखा नदी पार कर NH–33 को जोड़नेवाली पथ के सन्दर्भ में मान्नीय स0वि0स0 द्वारा यह अवगत कराते हुए कि डी0पी0आर0 तैयार हो गया है परन्तु आगे की कार्रवाई लंबित है, प्रश्न पूछा गया था। उक्त संदर्भ में उत्तर के द्वारा यह अवगत कराया गया कि "यह मार्ग रेखांकण पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व का नहीं है। जिसकी संभाव्यता एवं निधि की उपलब्धता के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी" ज्ञातव्य है कि, टाटा के स्वामित्व की सड़क से प्रारंभ होकर NH-33 को भिलाई पहाड़ी में संपर्क का यह रेखांकण है। इस मार्ग रेखांकण का चयन टाटा प्रबंधन के समन्वय पर आधारित है। जिसमें गैर मजरूआ भूमि एवं रैयती जमीन है। जिसका अधिग्रहण टाटा स्टील द्वारा किया गया है यथा उक्त का स्वामित्व टाटा स्टील का है। वस्तुतः प्रशासनिक स्वीकृति हेतु इस कार्य का प्राक्कलन स्थूल रूप से EPC के निमित्त तैयार किया गया था, सम्प्रति DPR नहीं तैयार किया गया था। राज्य में पथों के नेटवर्क के विकास हेतु विभाग द्वारा Bank of Schemes तैयार रखने के लिए ऐसे भी प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं जिनका आरेखन पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व के नहीं होते हैं। कालान्तर में इसके संभाव्यता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर ऐसे आरेखनों को पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में लेकर अग्रतर कार्रवाई की जाती है। वस्तुस्थिति के आलोक में विभाग द्वारा मा0 सदस्य को अवगत कराया गया कि "यह मार्ग रेखांकन पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नही है।" यह तथ्यात्मक रूप से सही है। टाटा नगर को NH-33 से सम्पर्क हेतु 6 (छः) विकल्प (पिपला में दो पुल, मानगो में तीन पुल तथा दोमुहानी में एक पुल) होंगे। जिमसें दोमुहानी, मानगो तथा पिपला में पुल का प्रावधान, पथ निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकता को दृष्टिपथ रखते हुए अन्य Connectivity विचाराधीन है, जिससे टाटानगर के लिए यातायात व्यवस्था सुदृढ़ एवं सुगम रह सके। सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन है, तदनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांकः–प०नि०वि०–11–अ०सू०–01/2023 (मानसून) सत्र 3701(S) राँची/दिनांक– 31/07/23

प्रतिलिपिः– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–1959, दिनांक–26.07.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः–प०नि०वि०–11–अ०सू०–01/2023 (मानसून) सत्र 3701(S) राँची/दिनांक– 31/07/23

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः–प०नि०वि०–11–अ०सू०–01/2023 (मानसून) सत्र 3701(S) राँची/दिनांक– 31/07/23

प्रतिलिपिः– मो० कौसर अली एवं श्री प्रभात कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पथ निर्माण विभाग को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त उत्तर प्रतिवेदन झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को आज ही OASYS प्रणाली के तहत ऑन लाईन प्रेषित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(72)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक– 02.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–12 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्ता–श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स०, झारखण्ड विधान सभा	उत्तरदाता–श्री आलमगीर आलम, मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
क्या यह बात सही है कि पिछले पाँच साल के दौरान ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा के तहत ली गयी 9.19 लाख योजनाऐं जिनमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ट्रेंच बांध और तालाब निर्माण जैसी अतिमहत्वपूर्ण योजनाऐं जिनकी लागत 5000 करोड़ की है, अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही के कारण अधूरी हैं।	अस्वीकारात्मक। उल्लेखनीय है कि समय–समय पर निर्गत विभागीय निदेश के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर पुरानी योजनाओं को पूर्ण किया जाना है। तदआलोक में मनरेगा अंतर्गत विगत पाँच वर्षों में कुल 31,85,677 योजनाओं में से कुल 24,66,775 योजनाएं पूर्ण कर ली गई है तथा अद्यतन कुल 7,18,902 योजनाएं प्रक्रियाधीन है।
यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उपरोक्त सभी अधूरी योजनाओं को एक तय समयावधि के अंतर पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यो?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक –13–141/विधान सभा/2023/ग्रा०वि० (N) 1066 राँची, दिनांक 01/08/23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र संख्या – 1999/वि०स० दिनांक 28.07.2023 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/08/2023
(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –13–141/विधान सभा/2023/ग्रा०वि० (N) 1066 राँची, दिनांक 01/08/23

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव/ उप सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/08/2023
सरकार के संयुक्त सचिव।

(73)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 02.08.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –08 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में पेसा कानून नहीं बनाया गया है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि पांचवी अनुसूची में झारखण्ड राज्य के 16 जिलों के 135 प्रखण्ड करीब 2066 ग्राम पंचायत तथा 16028 ग्राम सभा चयनित हैं;	स्वीकारात्मक। संविधान की पाँचवीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों में राज्य के 13 जिले पूर्ण रूप से एवं तीन जिले आंशिक रूप से सम्मिलित हैं जिसमें सम्प्रति 2066 ग्राम पंचायत एवं 135 प्रखण्ड आते हैं।
(3) क्या यह बात सही है कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के समुचित विकास हेतु केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करने हेतु राज्य में पेसा कानून बनाना आवश्यक है;	अस्वीकारात्मक।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य में पेसा कानून बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	विभागीय अधिसूचना संख्या 1784 दिनांक 26.07.2023 द्वारा झारखण्ड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियमावली, 2022 का औपबंधिक प्रारूप प्रकाशित किया गया है। झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 131(1) में विनिर्दिष्ट अवधि में औपबंधिक प्रारूप पर नागरिकों, विभागों एवं अन्य हितधारकों से प्राप्त मंतव्य/सुझाव/आपत्ति के आलोक में अपेक्षित विधि सम्मत संशोधन एवं आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर नियमावली अधिसूचित की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची–834004
e-mail : panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

ज्ञापांकः–1स्था(वि0स0)–61/2023–1824–/, राँची, दिनांकः–31.7.2023

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 1935 दिनांक 26.07.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31-7-23

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–61/2023–1824–/, राँची, दिनांकः–31.7.2023

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

31-7-23

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–61/2023–1824–/, राँची, दिनांकः–31.7.2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31-7-23

सरकार के अवर सचिव ।

(74)

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2023 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न सं०–16 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना सरकार का दायित्व है, परंतु जमशेदपुर में इस दायित्व का निर्वाह टाटा स्टील की इकाई टीएसयूआईएसएल कर रही है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर के टाटा लीज क्षेत्र में मोहरदा पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में विगत दो माह से कीड़ायुक्त, बदबूदार एवं गंदा पेयजल की आपूर्ति होने की शिकायत वहाँ के नागरिक कर रहे हैं ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विगत् दो माह में नदी के जल में बदबू की समस्या पायी गयी, पर जल संशोधन कर सभी नियामक पूर्ण होने के उपरांत ही जल की आपूर्ति की गई। टीएसयूआईएसएल द्वारा उनके पत्रांक–WM/ W-48/1236/23 दिनांक–31.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से सूचित किया गया है कि तीन माह में आपूर्ति किये गये जल की गुणवत्ता संतोषप्रद है।
3.	क्या यह बात सही है कि टाटा लीज क्षेत्र एवं मोहरदा में पेयजल आपूर्ति करने वाली संस्था टीएसयूआईएसएल ने कम बारिश होना, नदी में जल प्रवाह कम होना, नदी में जलकुंभी होना इसका कारण बताया है और इसे नियंत्रित करने के लिए कीटाणुशोधन रसायनों की खुराक बढ़ाया है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव जनस्वास्थ्य पर पड़ने की संभवना है ;	टीएसयूआईएसएल के प्रतिवेदन के अनुसार कम वर्षा होने, नदी में जल प्रवाह कम होने, नदी में जलकुम्भी होने की बात कही गई है। साथ ही, टीएसयूआईएसएल द्वारा उपयोग किये जा रहे रसायन निर्धारित मानक के अनुरूप होने का भी उल्लेख किया गया है। जलापूर्ति योजना को सुदृढ़ करने के लिए अलग से इन्टेक वेल, सेटलिंग टैंक, एरेशन सिस्टम लगाने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार जमशेदपुर के नागरिकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु वैकल्पिक उपाय करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–05/वि०स०/अल्पसूचित–07/2023/न०वि०आ० 2952 राँची, दिनांक– 01/08/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्र संख्या–2001 दिनांक–28.07.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/8/23
सरकार के अवर सचिव।

To
Special Officer
JNAC
East Singhbhum
Jamshedpur

Ref: WM/W-48/1236/23
Date: 31.07.2023

Sub: Response in reference of letter 2907 dt. 31.07.23

Dear Sir,

Tata Steel UISL provides O & M services for Moharda water supply as per specific scope and agreement with DWSD, JNAC.

In respect of your concerns we have checked last three months reports of water quality which is found mostly satisfactory.

In this context, we would like to you inform you that for last 4- 5 months' raw water quality got deteriorated drastically due to low volume of water with existing pollutant load. The effect of this pollutant load resulted in pungent smell, water hyacinth, algal growth and larval growth in water especially at the intake well at river. It creates a challenge to treat such quality of water with available conventional water treatment plant (constructed by DWSD). These issues were regularly highlighted and discussed in various meetings.

The long term action plan of having separate intake, settling tank, aeration system has been discussed in details with Govt. authorities (dt. 14.07.23 and 22.07.23)

Corrective action had been already been taken that time considering the situation and available treatment facilities at Moharda WTP. Chemicals which are being used for treatment are as per prescribed Standard. Current status (July, 23) on water quality is given below for your reference, where water quality at WTP outlet found satisfactory.

Parameters	Unit	IS 10500-2012 (Acceptable limit)	IS 10500-2012 (Permissible limit)	Avg.	Max.	Min.
Turbidity	NTU	<1.0	<5.0	1.5	2.4	0.8
pH	NA	6.5-8.5	6.5-8.5	7.2	7.6	7.0
Free chlorine	mg/l	Internal target : >0.4-0.6 ppm		0.6	0.7	0.4
Total coliforms	MPN/ 100ml	Absent	Absent	Absent	Absent	Absent

(75)

श्री भूषण बड़ा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–02.08.2023 को सदन में पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–19 का उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री भूषण बड़ा, माननीय स0वि0स0	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला के सिमडेगा प्रखण्ड स्थित (1) बीरू से तामड़ा के बीच पालामाड़ा नदी में पुल (2) सिमडेगा प्रखण्ड स्थित गिरमा नदी में बुढ़ागिरा के निकट पुल (3) केरसई प्रखण्ड स्थित पहारसाड़ा रंगाटोली पथ खलीजोर नदी में पुल (4) पाकरटांड़ प्रखण्ड स्थित सोगड़ा ठोंगाटोली, कोचेडेगा मोड़ के समीप शंख नदी में पुल (5) पाकरटांड़ प्रखण्ड स्थित कोलबहार कदमटोली के बीच उतएल नदी में पुल (6) केरसई प्रखण्ड स्थित किनकेल कराईगुड़ा कुसमाजोर नदी में पुल (7) पाकरटांड़ प्रखण्ड स्थित पालामाड़ा नदी में जामटोली घीरकटा ग्राम के बीच पुल का निर्माण विभाग द्वारा अबतक नहीं कराया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड (i) में वर्णित नदियों में पुलों का निर्माण विभाग द्वारा अब तक नहीं कराये जाने की वजह से अनुसूचित जनजाति बहुल ग्रामों के ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित नदियों में आवागमन की सुविधा को सुचारू रूप से बहाल कराने हेतु पुलों का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	मा0स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रश्नांकित पुलों की संभाव्यता प्रतिवेदन प्राप्त कर ली गई है एवं डी0पी0आर0 बनाने का आदेश दिया जा रहा है। तकनीकी स्वीकृत डी0पी0आर0 प्राप्त होने के पश्चात् निधि की उपलब्धता एवं विभागीय नीति के आलोक में क्रमबद्ध रूप से प्रशासनिक स्वीकृति हेतु नियमानुसार अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–123 / 2023 / ग्रा0का0वि0 2533 राँची, दिनांक–01-08-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1997 वि0स0 दिनांक–28.07.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/23

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–123 / 2023 / ग्रा0का0वि0 2533 राँची, दिनांक–01-08-2023

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1/8/23

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–123 / 2023 / ग्रा0का0वि0 2533 राँची, दिनांक–01-08-2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, कोषांग ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1/8/23

सरकार के संयुक्त सचिव

(76)

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–07 का उत्तर :–

	प्रश्नकर्त्ता श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता श्री चम्पाई सोरेन, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
01	क्या यह बात सही है कि नागरिकों को बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए परिवहन निगम बनाने की प्रक्रिया 10–11 वर्षों से लंबित है; परिवहन निगम को गठन होने से राज्य के नागरिकों को आवागमन में फायदा होगा;	आंशिक स्वीकारात्मक।
02	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के हर नागरिक को परिवहन की सुविधा बहाल करने हेतु राज्य परिवहन निगम का गठन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार हर नागरिकों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है। तदालोक में राज्य परिवहन प्राधिकार एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के द्वारा निजी वाहन स्वामियों को सवारी गाड़ी के परिचालन हेतु परमिट निर्गमण किया जाता है। इसके अतिरिक्त सुदूर ग्राम पंचायतों को प्रखण्ड स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक को जोड़ने हेतु "झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022" अधिसूचित की गयी है। साथ ही अन्य राज्यों में स्थापित/क्रियाशील राज्य पथ परिवहन निगम के वित्तीय स्थिति के सापेक्ष इस राज्य में भी राज्य परिवहन निगम के गठन संबंधी निर्णय ली जायेगी।

31/07/2023
संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–74/2023 858 /राँची,दिनांक 31.07.2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1835, दिनांक–25.07.2023 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/2023
संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०)–74/2023 853 /राँची,दिनांक 31.07.2023

प्रतिलिपि–सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/2023
संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

(77)

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2023 को पूछा जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न सं०–11 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2019 में खूँटी नगर पंचायत में जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया गया है, जिसे वर्ष 2021 में पूरा कर लेना था ;	स्वीकारात्मक। खूँटी नगर पंचायत अन्तर्गत शहरी जलापूर्ति योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति 92% है एवं यथाशीघ्र उक्त योजना को पूर्ण कर लिया जाएगा।
2.	क्या यह बात सही है कि इस जलापूर्ति योजनान्तर्गत खूँटी नगर पंचायत के सभी घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है ;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त जलापूर्ति योजनान्तर्गत खूँटी नगर पंचायत के सभी घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तक 2481 अद्द घरों में जल संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि शहरी जलापूर्ति हेतु पाईप लाईन बिछाने के लिए सड़क के किनारे गड्ढे खोदे गये हैं, जिसमें पाईप बिछाने के बाद ठीक से नहीं भरा गया है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। पाईप लाईन बिछाने के क्रम में सड़क के किनारे गड्ढे खोदे गये थे, जिन्हें पाईप लाईन बिछाने के उपरांत पुनर्स्थापित कर दिया गया है। बारिश के कारण कुछ जगहों पर जल जमाव के कारण किचड़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उन जगहों को चिन्हित कर पुनर्स्थापित किया जा रहा है। जल संयोजन प्रदान करने के क्रम में गड्ढे खोदे जा रहे है, जिन्हें जल संयोजन का कार्य पूर्ण होने के उपरांत भर दिया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार शहरी जलापूर्ति योजना को शीघ्र पूरा कर पेयजल आपूर्ति शुरू करने तथा सड़क के किनारे खोदे गड्ढे को समतल कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–05/वि०स०/अल्पसूचित–06/2023/न०वि०आ० 2949 राँची, दिनांक–01/08/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्र संख्या–2000 दिनांक–28.07.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/8/23

सरकार के अवर सचिव।

(78)

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.08.2023 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–13 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में सुनियोजित शहरी व्यवस्था के निर्माण हेतु राज्य टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाईजेशन (TPO) पर योजना बनाने और पाँच साल पर उसकी समीक्षा करने का जिम्मा है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के 48 नगर निकाय और क्षेत्रीय विकास प्राधिकार हेतु 77 असिस्टेंट टाउन प्लानर, 10 टाउन प्लानर और 03 चीफ टाउन प्लानर सहित कुल 90 स्वीकृत पद के विरूद्ध राज्य निर्माण के बाद एक भी नियुक्ति नहीं हुई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्यातंर्गत 43 शहरी स्थानीय निकायों एवं 05 क्षेत्रीय विकास प्राधिकारों यथा–राँची, कोल्हान, पलामू, संथाल परगना, एवं उत्तरी छोटानागपुर में कुल 95 असिस्टेंट टाउन प्लानर, 43 टाउन प्लानर एवं 07 चीफ टाउन प्लानर का पद स्वीकृत है।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त तकनीकी पदों पर बहाली नहीं होने से राज्य में सुनियोजित शहरी विकास हेतु योजना निर्माण समीक्षा एवं अन्य शहरी विकास के मामलों का ससमय निष्पादन नहीं हो पा रहा है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि कतिपय नगर निकायों में नगर निवेशन के कार्य हेतु संविदा के आधार पर सहायक नगर निवेशक पदस्थापित हैं। इसके अतिरिक्त नगर निवेशन के कार्यों हेतु अभियंताओं को प्राधिकृत किया गया है। साथ ही, राज्य शहरी विकास अभिकरण एवं नगरीय प्रशासन निदेशालय द्वारा केन्द्रीय योजनाओं क्रमशः अमृत योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत संबंधित शहरी स्थानीय निकायों में अर्बन प्लानर पदस्थापित किये गये हैं।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त सभी रिक्तियों को भरने हेतु ठोस कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	निकायों में सहायक नगर निवेशक एवं पद सोपान के उच्चतर पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड नगर निवेशन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य शर्तें) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित, 2019) में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त के पश्चात् शहरी स्थानीय निकायों के रिक्त पदों पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग से नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त करने हेतु अधियाचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को भेजी जायेगी।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–01/वि०मं०प्र०–12/2023 न०वि०आ०2954 राँची, दिनांक–01/08/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2003 वि०स० दिनांक–28.07.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों क साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/23.
सरकार के अवर सचिव।

79

श्रीमती सुनिता चौधरी, मा०स०वि०स० द्वारा चलते विधानसभा अधिवेशन में दिनांकः 02.08.2023 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–04 का उत्तर प्रतिवेदनः–

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>अल्पसूचित प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिले के गोला प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष–2020–21, 2021–22 एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में मनरेगा की योजनाओं में प्रयुक्त लघु खनिजों की रॉयल्टी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोला द्वारा खनन विभाग को जमा नहीं कराई गई है;</td><td>आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोला का पत्रांकः 180 दिनांकः 26.07.2023 के द्वारा उप विकास आयुक्त, रामगढ़ के माध्यम से खनिजों की रॉयल्टी जमा करने संबंधी निम्नवत् प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है :–
<table>
<tr><th>क्र०</th><th>वित्तीय वर्ष</th><th>अवशेष राशि (रूपये में)</th><th>अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>(i)</td><td>2020–21</td><td>0</td><td rowspan="4">अवशेष राशि जमा कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है।</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>2021–22</td><td>₹1,82,457</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>2022–23</td><td>₹18,568</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल</td><td>₹2,01,025</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के नियम 55 का उल्लंघन करते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोला के द्वारा मनरेगा वेंडरों को भुगतान कर सरकारी राजस्व का नुकसान किया है;</td><td>अस्वीकारात्मक है।
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा सामान्यतः मनरेगा योजना में किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता है। मनरेगा अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान कार्यकारी ऐजेंसी (ग्राम पंचायत) द्वारा किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या यह बात सही है कि गोला प्रखण्ड में जी०एस०टी० की समुचित श्रेणी में निबंधित न रहने वाले वेंडरों से मनरेगा योजनाओं और 14वीं एवं 15वीं वित्त आयोग से ली गई योजनाओं हेतु निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति कराते हुए भुगतान किया गया है;</td><td>अस्वीकारात्मक है।
प्रखण्ड कार्यालय द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जो सामग्री आपूर्तिकर्त्ता जी०एस०टी० की समुचित श्रेणी में निबंधित हैं, उन्हीं को भुगतान किया गया है।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>उत्तर उपरोक्त कंडिकाओं में सन्निहित है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांकः–02–आरोप (वि०स०प्र० / रामगढ़)–146 / 2023 3129, /राँची, दिनांक– 31/07/2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांकः 1722 / वि०स० दिनांकः 22.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/2023

(शैल प्रभा कुजूर)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–02–आरोप (वि०स०प्र० / रामगढ़)–146 / 2023 3129, /राँची, दिनांक– 31/07/2023

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव / श्रीमती सुनिता चौधरी, माननीय स०वि०स० के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/2023

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–02–आरोप (वि०स०प्र० / रामगढ़)–146 / 2023 3129, /राँची, दिनांक– 31/07/2023

प्रतिलिपि :– विधायी प्रशाखा (प्रशाखा–03) को प्रश्नगत अल्पसूचित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/2023

सरकार के संयुक्त सचिव